राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –20/2016
अन्तर्गत
अपील संख्या–1209/2016

राम लाल मीणा

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री ललित कुमार गुप्ता, जिला कलेक्टर, चूरू।
2. श्री रामधन मीणा, तहसीलदार, तहसील तारानगर, चूरू।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.04.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 1209/2013 में दिनांक 04.05.2015 को पारित आदेश की पालना पूर्ण रूप से आदिनांक तक नहीं की है। अपीलार्थी को रिवाईज्ड पे–स्केल के अनुसार लाभ प्रदान किया जा चुका है, परन्तु उक्त आदेश में जो बकाया राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज दिलाया गया है, वह ब्याज राशि प्रत्यर्थी विभाग ने अभी तक अपीलार्थी को अदा नहीं की है। आदेश पारित हुए करीब 9 वर्ष का समय हो चुका है, परन्तु आदेश की पालना नहीं की गयी है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 04.05.2015 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है:–

> "दोनों पक्षों को सुना गया तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो पूर्णतः अनुचित है। अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लाभ देय है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा यह लिख देना मात्र, कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर यह लाभ तुरन्त प्रदान किया जाए, जिसका वह हकदार है। यह खेद का विषय है कि अपीलार्थी के 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवदनों का इतनी लम्बी अवधि तक अवलोकन नहीं किया गया। चूंकि विभाग द्वारा आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की चार्जशीट या सीसी.ए. नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही लम्बित नहीं बताई गई है। अतः यह

माना जाना उचित है कि अपीलार्थी की सेवाऐं संतोषप्रद है। प्रत्यर्थी विभाग अपनी शिथिलता छोड़कर सहीं दिशा में कार्य करते हुए अपीलार्थी को उसका उचित लाभ अर्थात् 18 वर्ष की सेवा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पूर्ण करने पर राजस्थान सिविल सेवा रिवाइज्ड पे–स्केल रूल्स–2008 के अन्तर्गत नियमानुसार देय लाभ प्रदान करें तथा समस्त परिणामिक लाभ दिनांक 01.06.2006 से देते हुए तथा बकाया राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अपीलार्थी को अदा करें।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.2015 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.2015 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि ब्याज के सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जानी शेष है। स्वीकृति प्राप्त होने पर ब्याज अदा कर दिया जाएगा।

4. हमनें उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों की पुनरावृत्ति की।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2015 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

''दोनों पक्षों को सुना गया तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो पूर्णतः अनुचित है। अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लाभ देय है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा यह लिख देना मात्र, कि राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर यह लाभ तुरन्त प्रदान किया जाए, जिसका वह हकदार है। यह खेद का विषय है कि अपीलार्थी के 7 वर्ष के वार्षिक कार्य मुल्यांकन

प्रतिवदनों का इतनी लम्बी अवधि तक अवलोकन नहीं किया गया। चूंकि विभाग द्वारा आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की चार्जशीट या सीसी.ए. नियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही लम्बित नहीं बताई गई है। अतः यह माना जाना उचित है कि अपीलार्थी की सेवाऐं संतोषप्रद है। प्रत्यर्थी विभाग अपनी शिथिलता छोड़कर सहीं दिशा में कार्य करते हुए अपीलार्थी को उसका उचित लाभ अर्थात् 18 वर्ष की सेवा कनिष्ठ लिपिक के पद पर पूर्ण करने पर राजस्थान सिविल सेवा रिवाइज्ड पे–स्केल रूल्स–2008 के अन्तर्गत नियमानुसार देय लाभ प्रदान करें तथा समस्त परिणामिक लाभ दिनांक 01.06.2006 से देते हुए तथा बकाया राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अपीलार्थी को अदा करें।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के आदेश के विरूद्ध याचिका दायर करने की अभिशंषा करने पर विभाग द्वारा अपील करने का निर्णय लिया गया है, परंतु अभी तक अधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.2015 की क्रियान्विति को स्थगित नहीं करवाया है। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030)** में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 04.05.2015 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)